

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक - ता0 15/12/18 तक

जिला - मुंगेर सन् 2018

केश का प्रकार - बरियारपुर प्रखण्ड अंतर्गत अपात्र पी0एच0एच0 कार्डधारियों से संबंधित अभिलेख।

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित |                              |                      |                              |                   |      |                 |   |        |             |                   |                      |    |          |   |        |                  |                     |                      |   |          |  |
|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------|-----------------|---|--------|-------------|-------------------|----------------------|----|----------|---|--------|------------------|---------------------|----------------------|---|----------|--|
| 15/12/18                  | <p>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3738/खाद्य, दिनांक 21.06.2016 के आलोक में राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण हेतु SECC Data का भौतिक सत्यापन कराया गया। निदेशानुसार सत्यापनोपरांत डाटा पंजी से अपात्र परिवारों को चिह्नित कर विभागीय निदेश के आलोक में निम्नांकित कार्डधारियों को एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के समक्ष रखने हेतु अनुमंडल कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, कि क्यों नहीं उनके राशन कार्ड को अपात्र श्रेणी में रहने के कारण रद्द कर दिया जाय। तदुपरान्त निम्नांकित कुल 02 (दो) राशन कार्डधारियों द्वारा नोटिस के आधार पर तथा स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन समर्पित किया गया। सभी आवेदनों की जांच की गयी। जांचोपरांत सभी कुल 02 (दो) आवेदनों में वर्णित तथ्यों के अवलोकनोपरांत अपात्र की श्रेणी में मानते हुए राशन कार्ड रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र0</th> <th>पंचायत का नाम</th> <th>कार्डधारी का नाम</th> <th>कार्डधारी के पिता/पति का नाम</th> <th>राशन कार्ड संख्या</th> <th>इकाई</th> <th>कार्ड का प्रकार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>फड़िया</td> <td>पुष्पा देवी</td> <td>महेश प्रसाद चौधरी</td> <td>10240028034000400072</td> <td>11</td> <td>पी.एच.एच</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>नीरपुर</td> <td>मसौ0 मनोरमा देवी</td> <td>स्व0 ब्रजकिशोर मंडल</td> <td>10240020016010600130</td> <td>3</td> <td>पी.एच.एच</td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल अभिलेख सभी कागजात सहित अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को भेजे।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित<br/>15/12/18</p> <p>प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,<br/>बरियारपुर।</p> <p>प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,<br/>बरियारपुर।</p> | क्र0   | पंचायत का नाम                | कार्डधारी का नाम     | कार्डधारी के पिता/पति का नाम | राशन कार्ड संख्या | इकाई | कार्ड का प्रकार | 1 | फड़िया | पुष्पा देवी | महेश प्रसाद चौधरी | 10240028034000400072 | 11 | पी.एच.एच | 2 | नीरपुर | मसौ0 मनोरमा देवी | स्व0 ब्रजकिशोर मंडल | 10240020016010600130 | 3 | पी.एच.एच |  |
| क्र0                      | पंचायत का नाम  | कार्डधारी का नाम                                       | कार्डधारी के पिता/पति का नाम | राशन कार्ड संख्या    | इकाई                         | कार्ड का प्रकार   |      |                 |   |        |             |                   |                      |    |          |   |        |                  |                     |                      |   |          |  |
| 1                         | फड़िया   | पुष्पा देवी  | महेश प्रसाद चौधरी            | 10240028034000400072 | 11                           | पी.एच.एच          |      |                 |   |        |             |                   |                      |    |          |   |        |                  |                     |                      |   |          |  |
| 2                         | नीरपुर   | मसौ0 मनोरमा देवी                                       | स्व0 ब्रजकिशोर मंडल          | 10240020016010600130 | 3                            | पी.एच.एच          |      |                 |   |        |             |                   |                      |    |          |   |        |                  |                     |                      |   |          |  |
| 18/12/18                  | <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरियारपुर के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा के आलोक में अभिलेख में अंकित क्रमांक 01 से 02 (कुल दो) तक पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी राशन कार्ड (पी0एच0एच0) को रद्द किया जाता है। संबंधित को सूचना निर्गत करें।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित</p> <p>अनुमंडल पदाधिकारी<br/>सदर, मुंगेर।</p> <p>अनुमंडल पदाधिकारी<br/>सदर, मुंगेर।</p> <p>ज्ञापांक 729/आ0, दिनांक 18.12.18</p> <p>प्रतिलिपि : प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।<br/>निदेशित किया जाता है कि उक्त सभी राशन कार्ड को विभागीय निदेश के आलोक में ऑनलाईन रद्द कराना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि रद्द किए गए एक भी कार्डधारियों को उपावंटन नहीं हो सके।</p> <p>प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, समाहरणालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।</p> <p>अनुमंडल पदाधिकारी<br/>सदर, मुंगेर।</p>   |  |                              |                      |                              |                   |      |                 |   |        |             |                   |                      |    |          |   |        |                  |                     |                      |   |          |  |